

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा

.....वक्रोवाव.....बनाम.....इजराय.....

किस्म मुकदमा - रजरी नं० 81 सन् 2018
2018

PC
2018/00312

तारिख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारिख
अहकाम जो किस
हुकम की तामील में
जारी हुए

26/11/18

प्रार्थी की ओर से यह इजराय श्री विष्णुसाह शर्मा
..... एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया दर्ज रजिस्टर हो । तहसीलदार
दीगोद को पत्र लिखा जावे कि मि० न. 76/18 उनवान वक्रोवाव
इजराय में निर्णय दिनांक 13.11.18 को हो चुका है
उक्त उनवान में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इजराय की
पालना की जावे । पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट दिनांक 14.12.18 को
पेश हो।

[Signature]

14.12.18

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी
उपस्थित । पीठासीन अधिकारी के ~~सजकार्य~~ शुभकर
में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं
हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक-----
11.1.19 को
पेश हो । *[Signature]*

11.1.19

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी
उपस्थित । पीठासीन अधिकारी के ~~सजकार्य~~ शुभकर
में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं
हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक-----
1.2.19 को
पेश हो । *[Signature]*

1.2.19

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी
उपस्थित । पीठासीन अधिकारी के ~~सजकार्य~~ शुभकर
में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं
हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक-----

4/1/19

8.2.19

पत्रावली पैस हुकी प्रकरवा बैनामा. सं. 776
 दि. 16.1.2019 मे पालता बैचुकी है
 जिक्की पालता रिपोर्ट तहसील कर वीगोद से
 दि. 7.2.19 को प्राप्त हो चुकी है - युंकि पत्रावली
 मे अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
 फेरणामत; पत्रावली क्रमांक शुमार होकर दायित्व
 दफ्तर हो।

